



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- 721

दिनांक :- 18/9/2025

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :- बी0सी0सी0एल0 का कुईया कोलियरी हेतु मौजा—बेरा में कुल 16.49 हे0 वनभूमि
अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/MIN/32906/2018) के संबंध में।

प्रसंग :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक
8-44/2009-FC (pt) दिनांक 14.09.2023
2. आपका पत्रांक 1186 दिनांक 11.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि बी0सी0सी0एल0 के कुईया कोलियरी हेतु
कुल 16.49 हे0 वनभूमि अपयोजन में भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र-1 द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण
आपके कार्यालय पत्रांक 1186 दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त निराकरण प्रतिवेदन के पृच्छा
संख्या-8 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कच्चे रोड निर्माण में 0.1 हे0 का
Violation किया गया है।

उपरोक्त मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड द्वारा उक्त Violation के संबंध में
प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध की गयी कार्रवाई तथा उसका अद्यतन स्थिति माँगी गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त याचित प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की
कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 721

दिनांक :- 18/9/2025

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन
प्रमंडल, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

04/18-9

0/L